39
325

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– 5/स0 उद्योग खादी– (विविध)– 23/2017 /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

चारिक
। से
र्शित

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार राज्य स्थित खादी संस्था/समितियों को खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत न्यू मॉडल आधुनिक चरखा/कटिया चरखा/लूम/कार्यशील पूँजी एवं बोर्ड के प्रशासनिक व्यय हेतु रू0– 4,99,61,875.00 (चार करोड़ निनानवे लाख इकसठ हजार आठ सौ पचहत्तर रू0) सहायक अनुदान से प्राप्त कर विमुक्त करने संबंधी स्वीकृत्यादेश।**

आदेश:– **स्वीकृत।**

बिहार राज्य स्थित खादी संस्था/समितियों को खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत न्यू मॉडल आधुनिक चरखा/कटिया चरखा/लूम/कार्यशील पूँजी एवं बोर्ड के प्रशासनिक व्यय हेतु रू0– 4,99,61,875.00 (चार करोड़ निनानवे लाख इकसठ हजार आठ सौ पचहत्तर रू0) सहायक अनुदान से प्राप्त कर विमुक्त करने की स्वीकृति निम्न रूप से प्रदान की जाती है।

क्र0	ब्यौरा	नग	कुल राशि
1	न्यू मॉडल आधुनिक चरखा	500 नग	80,00,000.00
2	कार्यशील पूँजी	500 नग	2,35,00,000.00
3	लूम (45 इंच से उपर)	80 नग	24,00,000.00
4	कटिया चरखा	225 नग	9,61,875.00
5	कार्यशील पूँजी	225 नग	1,48,50,000.00
6	बोर्ड के प्रशासनिक व्यय		2,50,000.00
		कुल योग :–	4,99,61,875.00

2. इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य बिहार में खादी के विकास एवं खादी संस्था/समितियों के खादी उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता का विकास करना है साथ हीं साथ बिहार सरकार द्वारा खादी के विकास की योजनाओं को लागू करने में अहम योगदान प्रदान करना है।

3. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–105–खादी ग्रामोद्योग, उप शीर्ष–0101, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 23–2851001050101, विषय शीर्ष–0101.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद से विकलित होगा जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में यथेष्ट बजट उपबंधित है।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होगें, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, पटना को उपलब्ध

1373

ज्ञापांक– 5/स0 उद्योग खादी– (विविध)– 23/2017 826 /पटना, दिनांक– 28-02-18

प्रतिलिपिः–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

28/2/18

D/: 89sanlekh s.

पृष्ठ 324

करायेंगे। वित्त विभागीय पत्रांक–8244 दिनांक–02.08.10 एवं 500 दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस स्कीम के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो इसका अनुश्रवण करेंगे। स्कीम के व्यय से सम्बन्धित व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर समुचित जाँचोपरांत प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं ह०), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. स्वीकृत्यादेश में प्रस्तावित राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 के समय सीमा में ही व्यय की जानी है। निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य एजेन्सी द्वारा कार्यो का सम्पादन कर व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने की स्थिति में नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

7. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263, दिनांक–20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

8. स्कीम प्रस्ताव पर संचिका संख्या– 5/स0 उद्योग खादी– (विविध)– 23/2017 के पृष्ट 12/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0(2) दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक–17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक– 2938 वि (2) दिनांक–08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. वित्त विभागीय पत्रांक:–7355/वि0(2), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5/स0 उद्योग खादी– (विविध)– 23/2017 **/पटना, दिनांक–**
प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5/स0 उद्योग खादी– (विविध)– 23/2017 **/पटना, दिनांक–**
प्रतिलिपिः– उप उद्योग निदेशक (लेखा)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D/: 88sanlekh s.